(घ) आयात तथा निर्यात के लिये हवाई अड्डों पर फूल-उत्पादों के भंडारण की सुविधायें मुहैया की जायें।

(ङ) ग्रीन-हाऊस घटक आदि सहित सामग्री के आयात के बारे में आयात नीति और सीमाशुल्क में ढील दी जाए।

(च) राष्ट्रीय स्तर पर नीति निरूपण के लिये फूलों की खेती पर राष्ट्रीय परिषद् बनाई जाये।

(छ) राज्य में फूलों की खेती के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वास्ते नीति निरूपण और सलाह के लिये राज्य स्तरीय समितियां गठित की जायें।

(ज) फूलों की खेती के विकास के कार्यक्रमों को रोजगार और आय सृजन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाये।

(झ) कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों पर आवश्यकता पर आधारित अनुसंधान को सुदृढ़ बनाया जाये तथा तेज किया जाये।

(ञ) महत्वपूर्ण फूलों की फसलों के प्रसार के उन्नत तरीकों का विकास किया जाये और कोहरा तथा धुन्ध गृहों आदि का प्रावधान किया जाये।

(ट) हवाई भाड़े को युक्तिसंगत बनाया जाये।

(ठ) नकद प्रतिपूर्ति सहायता को फिर से लागू किया जाये।

(ड) परिवहन व भंडारण के लिये शीत श्रृंखला जैसे विशेष बुनियादी ढांचे का प्रावधान किया जाये।

**Deaths due to cold wave in Northern Region**

2521. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several persons living below poverty line have died of severe cold in the northern region during December, 1991—January, 1992;

(b) if so, the number of cold wave deaths in the region this year as compared to that in 1988-89, 1989-90 and 1990-91; and

(c) whether any comprehensive schemes have been drawn by Government to avert such cold-wave deaths, if so, the details thereof and the expenditure incurred thereon during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (c) The information is being collected from the State Governments.

2522. *[Transferred to the 23rd March 1992].*

**सब्जियों और फलों का भण्डारण और संरक्षण**

2523. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आलू, सब्जियों और फलों के भण्डारण और संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था करने हेतु कोई योजना है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन)** : राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से बागवानी फसलों की कटाई पश्चात अवसंरचना सुदृढ़ करने के बारे में एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें अल्पावधि प्रशीतनगृहों/पूर्व-प्रशीतन इकाइयों (प्रि कलिंग यूनिट्स) की व्यवस्था

है । राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, फलों के फलों पर आधारित पेय पदार्थों का विपणन करने के लिये जूस वेन्डिंग मशीन लगाने के लिये सहायता देता है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित कर रहा है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य, फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग सुविधायें का विकास करने के लिये योजनायें ;

(2) खाद्य, फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग सुविधाओं को स्थापित करने अथवा उनका विस्तार करने के लिये राज्य सरकार के उपक्रमों और राज्य स्तर को सहकारी समितियों को सहायता देने के लिये योजनायें ।

(3) खुम्बी (मशरूम) की खेती करने व इसकी प्रोसेसिंग करने के लिये अवसंरचना का विकास ।

(4) मुख्य हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और उत्पादकता केन्द्रों में प्रशीतनगृह (कोल्ड स्टोरेज) सुविधाओं का विकास ।

**Use of balanced fertilisers**

2524. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated plans to promote use of balanced fertilizers of different kinds; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b) A scheme for promoting the balanced and Integrated Use of Fertilizer, to be implemented by the Fertilizer Industry with 50 per cent central assistance has been prepared. The scheme has provision for Input Diagnostic Centres, Mobile Soil Testing Vans and Demonstration on Micronutrient Use.

**Use of Fertilizer in the Country**

2525. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state what is the recommended quantity of fertilizer of different kinds to be used in different States and areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): The fertilizer recommendations are generally expressed in terms of Kilo Grams of nutrients *i.e.* Nitrogen, Phosphorus and Potassium per hectare. These recommendations are based on the type of soil and its fertility status, crop and its variety, availability of irrigation and targetted levels of crop yields. General recommendations are made by the State Governments in consultation with their Agricultural Universities. The State-wise recommendations are modified by the District level agricultural authorities, which may be valid for the concerned districts.

In view of the above consideration, the crop-wise recommendations vary greatly. The range of Niterogen, phosphorus and potassium being recommended for some of the important crops are enclosed in the Statement.